पत्रावलि द्वारा ... 605 [illegible]

(3)

न्यायालय कलेक्टर मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या–05 / 2009–10 धारा–167 ज0वि0अधिनियम

ग्राम–रहडवा गैर अह0 परगना–भू0सं0 तहसील–जानसठ जिला–मुजफ्फरनगर

सरकार बनाम निर्मलकौर आदि

नक्ल-आदेश - दिनांक - 15-4-11

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या–231 2001 धारा–34 भूराजस्व अधिनियम निर्मलकौर बनाम अजीतसिंह ग्राम रहडवा गैर अहतमाल परगना भू0सं0 में पारित आदेश दिंनाक 26–12–2009 के आधार पर प्रारम्भ की गई। नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ द्वारा अपने न्यायालय की उक्त वाद पत्रावली मूल रूप में संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि श्रीमति निर्मलकौर, महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह की पत्नी है। महेन्द्रसिंह के नाम तहसील जानसठ के ग्राम रहडवा गैर अहतमाल में खसरा नम्बर–296 रकबा–0.795 है0 का 1/2 भाग यानि 0.3975 है0 ग्राम जग्गू जमालपुर के खसरा नम्बर–100मि रकबा–4.424 है0 ग्राम भिक्कनपुर के खसरा नम्बर–141 रकबा–0.154 है0 व खसरा नम्बर–138म रकबा–0.102 है0 का 1/2 भाग यानि 0.051 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इसप्रकार वादिया के पति महेन्द्रसिंह के नाम उक्त ग्रामों में 5.0267 है0 भूमि अंकित है। वादियां श्रीमति निर्मलकौर द्वारा ग्राम रहडवा गैर अहतमाल के खसरा नम्बर–287 रकबा–0.9809 है0 व खसरा नम्बर 298म रकबा–0.133 है0 कुल रकबा–1.1139 है0 का बैनामा दिंनाक 16–3–2001 को क्रय किया गया है। वादियां के पति महेन्द्रसिंह के नाम पूर्व में 5.0267 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। वादियां द्वारा क्रय की गई भूमि 1.1139 है0 को मिलाकर पति पत्नी दोनों के नाम 6.1406 है0 भूमि हो जाती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में कोई भी कृषक अपने व अपनी पत्नी व नाबालिंग बच्चों के नाम पर 5.0586 है0 (12.50 एकड) से अधिक भूमि नही रख सकता है। वादिया एंव उसके परिवार के पास उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 से 1.0820 है0 भूमि अधिक हो गई है। इसप्रकार वादियां द्वारा विक्रय पत्र दिंनाक 16–3–2001 के द्वारा क्रय की भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154 का स्पष्ट उंलघन होने के कारण नियत सीमा से अधिक क्रय की गई विवादि भूमि 1.0820 है0 को धारा–166 / 167 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत राज्य सरकार में निहित किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण इस न्यायालय को सन्दर्भित करते हुए निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया

वाद पंजीकरणं उपरान्त नियमानुसार विपक्षीगण को दिंनाक 19–2–2010 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। कारण बताओं नोटिस के उत्तर में विपक्षीगण श्रीमति निर्मलाकौर व महेन्द्रसिंह की ओर से संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि विपक्षीगण को दिया गया नोटिस दिंनाक 19–2–2010 खिलाफ कानून व वाकात है जो पोषनीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विपक्षीगण जो कि पति पत्नी है, के पास संयुक्त तौर पर दिंनाक 15–3–2001 को कुल 5.0267 है0 भूमि थी जो कि धारा–154(1) ज0वि0अधिनियम के तहत अनुमन्य सीमा के अन्दर थी। कानून की जानकारी न होने के कारण दिंनाक 16–3–2001 को विपक्षीगण द्वारा संयुक्त तौर पर खसरा नम्बर–287 व 298म का कुल रकबा–1.1139 है0 खरीद लिया, जिसे मिलाकर विपक्षीगण के पास कुल 6.1406 है0 भूमि हो गई। उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में दिंनाक 29–3–2005 को संशोधन कर उप धारा–3 जोड दी गई जिसके द्वारा जिस प्रकरण में अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि विना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के खरीदी गई है, उसमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार भूमि की कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माना के तौर पर आरोपित करने के बाद सीमा से अधिक भूमि की बाबत अनुमति प्रदान कर सकती है। अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विपक्षीगण का प्रार्थनापत्र अभी लम्बित है। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वाद की कार्यवाही पोषनीय न होने के कारण उसे समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नियत दिंनाक पर पुकार कराई गई। पुकार कराये जाने पर उभयपक्षों के अधिवक्ता उपस्थित आये, उन्हें विस्तार से सुना गया।

विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिंनाक 15–4–2010 के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित उत्तर दिंनाक 18–3–2010 में अंकित किये गये तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ द्वारा वाद संख्या–231 2001 धारा–34 भूराजस्व अधिनियम निर्मलकौर बनाम अजीतसिंह ग्राम रहडवा गैर अहतमाल परगना भू0सं0 में पारित आदेश दिंनाक 26–12–2009 के आधार पर प्रारम्भ की गई धारा–167 ज0वि0अधिनियम की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षीगण के पास पहले से ग्राम रहडवा गैर अहतमाल, जग्गू जमालपुर व

भिक्कनपुर में कुल मिलाकर 5.0267 है0 भूमि थी। इसके उपरान्त दिनाक 16–3–2001 को बैनामें के द्वारा ग्राम रहडवा गैर अहतमाल के खसरा नम्बर–287 व 298म कुल रकबा–1.1139 है0 भूमि क्रय की गई। इसप्रकार विपक्षीगण के पास कुल मिलाकर 6.1406 है0 भूमि हो गई जो कि ज0वि0अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 से 1.0820 है0 भूमि अधिक हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा बैनामा दिनाक 16–3–2001 में ज0वि0अधिनियम की धारा–154 का उलघंन होने के कारण नियत सीमा के अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी महेन्द्रसिंह के पास ग्राम रहडवा गैर अहतमाल, जग्गू जमालपुर व भिक्कनपुर में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 5.0267 है0 भूमि है। श्रीमति निर्मलकौर जो महेन्द्रसिंह की पत्नी है, के द्वारा दिनाक 16–3–2001 को ग्राम रहडवा गैर अहतमाल में खसरा नम्बर–287 रकबा–0.9809 है0 तथा खसरा नम्बर–298म रकबा–0.133 है0 कुल 1.1139 है0 भूमि बैनामा द्वारा क्रय की गई। इसप्रकार श्रीमति निर्मलकौर के परिवार के पास कुल मिलाकर 6.1406 है0 भूमि हो गई जो कि ज0वि0अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 (12.50 एकड) से 1.0820 है0 भूमि अधिक है। दिनाक 16–3–2001 में क्रय की गई भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154(1) का उलघंन किया गया है। धारा–154 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत भूमिधर द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो निम्नप्रकार है–

"154–भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध–(1) उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोडकर, किसी भूमिधर को विक्रय या दान द्वारा चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार न होगा यदि अन्तरिती ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप उस भूमि का अधिकारी हो जायेगा जो उत्तर प्रदेश में उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि समेत कुल मिलाकर 5.0586 है0 (12.50 एकड) से अधिक हो जाती हो।"

विपक्षीगण का यह कथन कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में दिनाक 29–3–2005 को संशोधन कर उपधारा–3 जोड दी गई है जिसके द्वारा जिस प्रकरण में अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खरीदी गई है उसमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार भूमि की कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माना आरोपित करने के बाद सीमा से अधिक भूमि की बाबत अनुमति प्रदान कर सकती है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि से सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त कोई अनुमति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 की उपधारा–3 दिनाक 29–3–2005 से प्रभावी है जबकि विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि दिनाक 16–3–2001 को खरीदी गई है। इसप्रकार दिनाक 16–3–2001 को खरीदी गई भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154(1) का उलंघन होने के कारणं नियत सीमा से अधिक 1.0820 है0 भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी निर्मलकौर द्वारा दिनाक 16–3–2001 को क्रय की गई ग्राम रहडवा गैर अहतमाली स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर–287 रकबा–0.9809 है0 तथा खसरा नम्बर–298म रकबा–0.133 है0 कुल 1.1139 है0 में से 1.0820 है0 भूमि से केता विकेता के समस्त अधिकार समाप्त करते हुए उनका नाम काटा जाकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–167 के अर्न्तगत भूमि राज्य सरकार के पक्ष में भार रहित निहित की जाती है। आदेश की प्रति उप जिलाधिकारी जानसठ को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि वह तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त करें तथा प्राप्त भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में नियमानुसार सुनिश्चित करें। प्रतिवादीगण यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष/लाभ चाहते है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। इस न्यायालय की वाद पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाये।

(पंकज कुमार)
कलेक्टर
मुजफ्फरनगर

दिनाक 15–04–2011

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षंरित एंव दिनाकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाक 15–04–2011

(पंकज कुमार)
कलेक्टर
मुजफ्फरनगर

प्रतिलिपि द्वारा प्रा० पत्र संख्या...604 आवश्यक

न्यायालय कलेक्टर मुजफ्फरनगर।

वाद संख्या–04/2009–10 धारा–167 ज0वि0अधिनियम

ग्राम–रहडवा गैर अह0 परगना–भू0सं0 तहसील–जानसठ जिला–मुजफ्फरनगर

सरकार बनाम निर्मलकौर आदि

नकल-आदेश - दिनांक -15-4-11

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या–127/2002–2009 धारा–34 भूराजस्व अधिनियम निर्मलकौर बनाम अजीतसिंह ग्राम रहडवा गैर अहतमाल परगना भू0सं0 में पारित आदेश दिंनाक 26–12–2009 के आधार पर प्रारम्भ की गई। नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ द्वारा अपने न्यायालय की उक्त वाद पत्रावली मूल रूप में संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि श्रीमति निर्मलकौर, महेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह की पत्नी है। महेन्द्रसिंह के नाम तहसील जानसठ के ग्राम रहडवा गैर अहतमाल में खसरा नम्बर–296 रकबा–0.795 है0 का 1/2 भाग यानि 0.3975 है0 ग्राम जग्गू जमालपुर के खसरा नम्बर–100मि रकबा–4.424 है0 ग्राम भिक्कनपुर के खसरा नम्बर–141 रकबा–0.154 है0 व खसरा नम्बर–138म रकबा–0.102 है0 का 1/2 भाग यानि 0.051 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इसप्रकार वादिया के पति महेन्द्रसिंह के नाम उक्त ग्रामों में 5.0267 है0 भूमि अंकित है। वादियां श्रीमति निर्मलकौर द्वारा ग्राम रहडवा गैर अहतमाल के खसरा नम्बर–288 रकबा–2.5230 है0 का बैनामा दिंनाक 18–1–2002 को कय किया गया है। वादियां के पति महेन्द्रसिंह के नाम पूर्व में 5.0267 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है। वादियां द्वारा कय की गई भूमि 2.5230 है0 को मिलाकर पति पत्नी दोनों के नाम 7.5497 है0 भूमि हो जाती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में कोई भी कृषक अपने व अपनी पत्नी व नाबालिंग बच्चों के नाम पर 5.0586 है0 (12.50 एकड) से अधिक भूमि नही रख सकता है। वादिया एंव उसके परिवार के पास उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 से 2.4911 है0 भूमि अधिक हो गई है। इसप्रकार वादियां द्वारा विकय पत्र दिंनाक 18–1–2002 के द्वारा कय की भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154 का स्पष्ट उंलघन होने के कारण नियत सीमा से अधिक कय की गई विवादित भूमि 2.4911 है0 को धारा–166/167 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत राज्य सरकार में निहित किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण इस न्यायालय को सन्दर्भित करते हुए निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया

वाद पंजीकरण उपरान्त नियमानुसार विपक्षीगण को दिंनाक 19–2–2010 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। कारण बताओं नोटिस के उत्तर में विपक्षीगण श्रीमति निर्मलाकौर व महेन्द्रसिंह की ओर से संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया हैं कि विपक्षीगण को दिया गया नोटिस दिंनाक 19–2–2010 खिलाफ कानून व वाकात है जो पोषनीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विपक्षीगण जो कि पति पत्नी है, के पास संयुक्त तौर पर दिंनाक 15–3–2001 को कुल 5.0267 है0 भूमि थी जो कि धारा–154(1) ज0वि0अधिनियम के तहत अनुमन्य सीमा के अन्दर थी। कानून की जानकारी न होने के कारण दिंनाक 16–3–2001 को विपक्षीगण द्वारा संयुक्त तौर पर खसरा नम्बर–287 व 298म का कुल रकबा–1.1139 है0 खरीद लिया, जिसे मिलाकर विपक्षीगण के पास कुल 6.1406 है0 भूमि हो गई। श्रीमति निर्मला ने ग्राम रहडवा गैर अहतमाल में भूमि खसरा नम्बर–288 रकबा–2.5230 है0 दिंनाक 18–1–2002 को खरीद लिया, इसके बाद विपक्षीगण के पास कुल भूमि दिंनाक 18–1–2002 को 8.6636 है0 हो गई जो अनुमन्य सीमा से 3.605 है0 अधिक है। उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में दिंनाक 29–3–2005 को संशोधन कर उप धारा–3 जोड दी गई जिसके द्वारा जिस प्रकरण में अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के खरीदी गई है, उसमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार भूमि की कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माना के तौर पर आरोपित करने के बाद सीमा से अधिक भूमि की बाबत अनुमति प्रदान कर सकती है। अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विपक्षीगण का प्रार्थनापत्र अभी लम्बित है। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वाद की कार्यवाही पोषनीय न होने के कारण उसे समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नियत दिंनाक पर पुकार कराई गई। पुकार कराये जाने पर उभयपक्षों के अधिवक्ता उपस्थित आये, उन्हें विस्तार से सुना गया।

विपक्षीगण की ओर से उनके विद्धान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिंनाक 15–4–2011 के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित उत्तर दिंनाक 16–3–2010 में अंकित किये गये तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार मीरापुर तहसील जानसठ द्वारा वाद संख्या–127 2002–2009 धारा–34 भूराजस्व अधिनियम निर्मलकौर बनाम अजीतसिंह ग्राम रहडवा गैर अहतमाल परगना भू0सं0 में पारित आदेश दिंनाक 26–12–2009 के आधार पर प्रारम्भ की गई धारा–167 ज0वि0अधिनियम की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षीगण के पास पहले से ग्राम रहडवा गैर अहतमाल, जग्गू जमालपुर व भिक्कनपुर में कुल मिलाकर 5.0267 है0 भूमि थी। इसके उपरान्त दिनाक 18–1–2002 को बैनामें के द्वारा ग्राम रहडवा गैर अहतमाल के खसरा नम्बर–288 रकबा–2.5230 है0 भूमि कय की गई। इसप्रकार विपक्षीगण के पास कुल मिलाकर 7.5497 है0 भूमि हो गई जो कि ज0वि0अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 से 2.4911 है0 भूमि अधिक हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा बैनामा दिनाक 18–1–2002 में ज0वि0अधिनियम की धारा–154 का उलघंन होने के कारण नियत सीमा के अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी महेन्द्रसिंह के पास ग्राम रहडवा गैर अहतमाल, जग्गू जमालपुर व भिक्कनपुर में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 5.0267 है0 भूमि है। श्रीमति निर्मलकौर जो महेन्द्रसिंह की पत्नी है, के द्वारा दिनाक 18–1–2002 को ग्राम रहडवा गैर अहतमाल में खसरा नम्बर–288 रकबा–2.5230 है0 भूमि बैनामा द्वारा कय की गई। इसप्रकार श्रीमति निर्मलकौर के परिवार के पास कुल मिलाकर 7.5497 है0 भूमि हो गई जो कि ज0वि0अधिनियम की धारा–154 में नियत सीमा 5.0586 है0 (12.50 एकड) से 2.4911 है0 भूमि अधिक है। दिनाक 18–1–2002 में कय की गई भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154(1) का उलघंन किया गया है। धारा–154 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत भूमिधर द्वारा भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो निम्नप्रकार है–

"154–भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध–(1) उपधारा (2) में की गई व्यवस्था को छोडकर, किसी भूमिधर को विकय या दान द्वारा चाय बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार न होगा यदि अन्तरिती ऐसे विकय या दान के परिणामस्वरूप उस भूमि का अधिकारी हो जायेगा जो उत्तर प्रदेश में उसके कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि समेत कुल मिलाकर 5.0586 है0 (12.50 एकड) से अधिक हो जाती हो।"

विपक्षीगण का यह कथन कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 में दिनाक 29–3–2005 को संशोधन कर उपधारा–3 जोड दी गई है जिसके द्वारा जिस प्रकरण में अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खरीदी गई है उसमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार भूमि की कीमत का 25 प्रतिशत जुर्माना आरोपित करने के बाद सीमा से अधिक भूमि की बाबत अनुमति प्रदान कर सकती है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि से सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त कोई अनुमति पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 की उपधारा–3 दिनाक 29–3–2005 से प्रभावी है जबकि विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि दिनाक 18–1–2002 को खरीदी गई है। इसप्रकार दिनाक 18–1–2002 को खरीदी गई भूमि में ज0वि0अधिनियम की धारा–154(1) का उलंघन होने के कारणं नियत सीमा से अधिक 2.4911 है0 भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित मानी जायेगी।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी निर्मलकौर द्वारा दिनाक 18–1–2002 को कय की गई ग्राम रहडवा गैर अहतमाली स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर–288 रकबा–2.5230 है0 में से 2.4911 है0 भूमि से केता विकेता के समस्त अधिकार समाप्त करते हुए उनका नाम काटा जाकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–167 के अर्न्तगत भूमि राज्य सरकार के पक्ष में भार रहित निहित की जाती है। आदेश की प्रति उप जिलाधिकारी जानसठ को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि वह तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त करें तथा प्राप्त भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में नियमानुसार सुनिश्चित करें। प्रतिवादीगण यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष/लाभ चाहते है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकते है। इस न्यायालय की वाद पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनाक 15–04–2011

(पंकज कुमार)
कलेक्टर
मुजफ्फरनगर

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षंरित एंव दिनाकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाक 15–04–2011

(पंकज कुमार)
कलेक्टर
मुजफ्फरनगर

आज दिनांक 02-5-2011 को [illegible]

मुज्जफ्फरनगर वाद सं० 04/2009-10 [illegible] धारा 107 [illegible]

ग्राम रहडवा गैर अहलमाली [illegible] तहसील

जानसठ जिला-मुजफ्फरनगर सरकार बनाम [illegible]

से पारित आदेश दिनांक [illegible] पर [illegible]

कार जानसठ के आदेश दिनांक [illegible] के अनुपालन

मे धारा [illegible] रहडवा [illegible] श्रीमती [illegible]

व राजस्व टीम जो साथ लेकर स्थल पर आकर

पैमाइश करके ग्राम रहडवा गैर अहलमाली की [illegible]

288 और 2.523 है० मे से 2.491 है० भूमि को

कब्जा [illegible] किया। [illegible]

समय मौके पर उपस्थित [illegible] हस्ताक्षर

लि० अ० निम्न [illegible]

02.5.11

Harjinder

R. Shampu

अजीत सिंह [illegible]